

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीयान) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/47601/ALB/ALLAHABAD/654/CFO

दिनांक : 05-04-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स KENDRIYA VIDYALAYA MANAURI AIRFORCE STATION PRAYAGRAJ UP पता -, G T Road, PRAYAGRAJ तहसील - SADAR प्लॉट एरिया 56180.80 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 6573.34 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	1	0	3.50 mt

है। भवन का अधिभोग मेसर्स KENDRIYA VIDYALAYA MANAURI AIRFORCE STATION PRAYAGRAJ UP द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 06-04-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHALINI DIKSHIT, 9305337254, kvmaid@gmail.com के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-04-2022 से 06-04-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स KENDRIYA VIDYALAYA MANAURI AIRFORCE STATION PRAYAGRAJ UP अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स KENDRIYA VIDYALAYA MANAURI AIRFORCE STATION PRAYAGRAJ UP अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : 1- शासनादेश संख्या : 18 छ - पु-08-2022/905(34)/ 2016टी0सी0 दिनांक 07 01 2022 के अनुसार यह प्रमाण पत्र विद्यमान भवन के लिये निर्गत किया जा रहा है, भवन में ढाँचागत परिवर्तन / अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 4 प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरान्त अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन पत्रों का शोधन कराकर फायरऑडिट कराना अनिवार्य होगा। 5. भवन में समय - समय पर मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य होगा।